

प्रेशक,

राज्य सरकार अधिनियम,
शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

तवा में

शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2003

विषय:-

शिक्षा विभाग अधिनियम 1974, लखनऊ-कक्षा 10, केन्द्र, लखनऊ से प्रोत्साहन प्राप्त
शिक्षा विभाग के अधिनियम 1974 अधिनियम प्रमाण पत्र देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में और आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सूचित किया
जाता है कि संबंधित शिक्षा विभाग के अधिनियम 1974 अधिनियम के

संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाई मिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाक्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृत में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या स्थितित बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। स्वामी सुन्दर उपाध्याय ।
 ज्येष्ठ शिक्षक ।

पृ०सं०-

6314

11/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **प्रधान सचिव, भद्र ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **कानपुर ।**
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय 30 प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **विद्यालय, राजकीय शिक्षण संस्थान, कानपुर, कानपुर ।**
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा सं.

। स्वामी सुन्दर उपाध्याय ।
 ज्येष्ठ शिक्षक ।